

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 1084 सन 2020

अनवान :-

1. भादरराम पुत्र अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

### बनाम

1. नौरा पत्नी अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
2. माडुराम पुत्र अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
3. शिशपाल पुत्र अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
4. निमा पत्नी श्योचन्द जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
5. सुखराम पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
6. महेन्द्र पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
7. मांगेराम पुत्र श्योचन्द्र जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
8. बाला पुत्री श्योचन्द जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
9. पिथाराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
10. कालुराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
11. राजुराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
12. शकुन्तला पत्नी दयालाराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
13. रणजीत पुत्र दयालाराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
14. महेन्द्रा पुत्री दयालाराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
15. मैना पुत्री दयालाराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
16. बाधो पुत्री दयालाराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
17. कमला पत्नी स्व निकूराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
18. पूर्णराम पुत्र निकूराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
19. राजेन्द्र पुत्र निकूराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
20. जगदीश पुत्र निकूराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
21. गोर्धन पुत्र निकूराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
22. सन्दोखी पुत्री निकूराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
23. किस्तुरी पुत्री निकूराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
24. श्रवणी पुत्री अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
25. सरबती पुत्री अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
26. सुमित्रा पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
27. गुडडी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

प्रेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 10/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 149/142 की कुल 20.4490 हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 एव मृतक दयालाराम , दाखा , निकूराम के नाम से दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में आदूराम पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज थी जिसके जायज वारिसान अमराराम , निकूराम , सन्दोखी किस्तुरी सहीराम थे जिनमें से अमराराम , निकूराम सहीराम फोट हो चुके है अमराराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, श्योचन्द प्रतिवादी संख्या 24 ,25 है श्योचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 है निकूराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 17 ता 21 है व सहीराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 मृतक पुत्र दयालाराम है दयालाराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 हैक इसप्रकार आदुराम के वर्तमान में जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 है । जो आदुराम के देहान्त होने पर उनके पुत्रों एव पुत्रों के पुत्रों के नाम से दर्ज भूमि में हक हिस्सा

20

है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 वाद भूमि में अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 8 जो वादी की बहन एव श्योचन्द की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 जो प्रतिवादी संख्या 13 की बहन एवं मृतक दयालाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 22 ,23 जो आदुराम की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 24 25 अमराराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 26 ,27 सहीराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 8 ,14 ता 16 ,22 ता 27 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो/माता /पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ता 13 ,17 ता 21 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ता 13 ,17 ता 21 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं मृतक दयालाराम , दाखा, निकुराम के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ता 13 , 17 ता 21 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता आदुराम पुत्र कानाराम एवं उनके पुत्रों के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 8, 14 ता 16 ,22 ता 27 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ता 13 ,17 ता 21 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ता 13 ,17 ता 21 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ता 13 ,17 ता 21 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 28 पेरकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 149/142 की कुल 20.4490 हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 एवं मृतक दयालाराम , दाखा , निकुराम के नाम से दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में आदुराम पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज थी जिसके जायज वारिसान अमराराम , निकुराम , सन्दोखी किस्तुरी सहीराम थे जिनमें से अमराराम , निकुराम सहीराम फोत हो चुके है अमराराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, श्योचन्द प्रतिवादी संख्या 24 ,25 है श्योचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 है निकुराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 17 ता 21 है व सहीराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 मृतक पुत्र दयालाराम है दयालाराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 हैक इसप्रकार आदुराम के वर्तमान में जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 है। जो आदुराम के देहान्त होने पर उनके पुत्रों एवं पुत्रों के पुत्रों के नाम से दर्ज भूमि में हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 वाद भूमि में अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 8 जो वादी की बहन एव श्योचन्द की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 जो प्रतिवादी संख्या 13 की बहन एवं मृतक दयालाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 22 ,23 जो आदुराम की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 24 25 अमराराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 26 ,27 सहीराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 8 ,14 ता 16 ,22 ता 27 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का



त्याग अपने भाईयो/माता /पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ता 13 ,17 ता 21 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ता 13 ,17 ता 21 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 149/142 की कुल 20.4490 हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 एव मृतक दयालाराम , दाखा , निकुराम के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि आदूराम पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज थी जिसके जायज वारिसान अमराराम , निकूराम , सन्दोखी किस्तुरी सहीराम थे जिनमें से अमराराम , निकूराम सहीराम फोट हो चुके है अमराराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, श्योचन्द प्रतिवादी संख्या 24 ,25 है श्योचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 है निकूराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 17 ता 21 है व सहीराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 मृतक पुत्र दयालाराम है दयालाराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 है इसप्रकार आदुराम के वर्तमान में जीवित वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 है। जो आदुराम के देहान्त होने पर उनके पुत्रों एव पुत्रों के पुत्रों के नाम से दर्ज भूमि में हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 8 ,14 ता 16 ,22 ता 27 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ,14 ता 16 ,22 ता 27 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ता 13 ,17 ता 21 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ,14 ता 16 ,22 ता 27 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 149/142 की कुल 20.4490 हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/15 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 प्रत्येक 1/60 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 ,13 प्रत्येक 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 ता 21 प्रत्येक 1/15 हिस्सा के एवं रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 199/191 की कुल 5.8050 हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 प्रत्येक 1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भादरराम पुत्र अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

#### बनाम

1. नौरा पत्नी अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
2. माडुराम पुत्र अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
3. शिशपाल पुत्र अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
4. निमा पत्नी श्योचन्द जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
5. सुखराम पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
6. महेन्द्र पुत्र श्योचन्द जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
7. मांगेराम पुत्र श्योचन्द्र जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
8. बाला पुत्री श्योचन्द जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
9. पिथाराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
10. कालुराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
11. राजुराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
12. शकुन्तला पत्नी दयालाराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
13. रणजीत पुत्र दयालाराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
14. महेन्द्रा पुत्री दयालाराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
15. मैना पुत्री दयालाराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
16. बाधो पुत्री दयालाराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
17. कमला पत्नी स्व निकूराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
18. पूर्णराम पुत्र निकूराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
19. राजेन्द्र पुत्र निकूराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
20. जगदीश पुत्र निकुराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
21. गोरधन पुत्र निकुराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
22. सन्दोखी पुत्री निकुराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
23. किस्तुरी पुत्री निकुराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
24. श्रवणी पुत्री अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
25. सरबती पुत्री अमराराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
26. सुमित्रा पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
27. गुडडी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1084 सन 2020 निर्णय दिनांक- 10/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 149/142 की कुल 20.4490 हैक् भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/15 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 प्रत्येक 1/60 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 ,13 प्रत्येक 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 ता 21 प्रत्येक 1/15 हिस्सा के एवं रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 199/191 की कुल 5.8050 हैक् भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 प्रत्येक 1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/3/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )